

अनुलेखनक-ग

ई—स्टाम्प प्रमाण—पत्र सं
.....

वचन पत्र

(टिप्पणी: यह शपथ पत्र 10/- रु. के नॉन—जूडिशियल स्टाम्प पेपर/ई—स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए और इसे मजिस्ट्रेट/सब—जज / नोटरी पब्लिक से सत्यापित कराया जाए तथा इस पर 5/- रु. की अतिरिक्त स्टाम्प भी लगाई जाए।)

जबकि मुझे सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री निवासी
दिल्ली विकास प्राधिकरण (आवासीय संपदाओं का प्रबंधन और निपटान) विनियम, 1968 (जिसे इसमें आगे उक्त विनियम कहा गया है)
के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण को किए गए आवेदन के आधार पर आबंटित किया
गया है (जिसे आगे फ्लैट कहा गया है)।

और जबकि उक्त विनियमों के अंतर्गत मुझे फ्लैट का कब्जा सौंपने से पहले फ्लैटों के उपबंध के अंतर्गत मेरे लिए फ्लैट के साथ लगे
हुए सामान्य भागों और सेवाओं के प्रबंधन और प्रशासन के लिए उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ एक पंजीकृत एजेंसी का
गठन, फ्लैट के हस्तांतरण विलेख और भूमि के संयुक्त पट्टा विलेख का निष्पादन कराना बाध्यकर होगा।

और जबकि उक्त विनियमों के अंतर्गत पूरी की जाने वाली विभिन्न औपचारिकताओं को पूरा करने और विनियमों में निर्धारित दस्तावेजों
का निष्पादन और पंजीकरण कराने से पूर्व अपने हित में मैंने फ्लैट का तात्कालिक कब्जा लेने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को
आवेदन किया है।

मैं सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री निवासी दिल्ली विकास
प्राधिकरण को किए गए आवेदन के आधार पर आवेदन किए आबंटित फ्लैट का कब्जा पहले दिए जाने की स्थिति में, उन सभी निबंधन और
शर्तों का पालन करूँगा/करूँगी, जो दिल्ली विकास प्राधिकरण (आवासीय संपदाओं का प्रबंधन और निपटान) विनियम, 1968 में निर्धारित
है, जिसमें इस विनियम में निर्धारित दस्तावेज भी शामिल हैं, जो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैट के हस्तांतरण विलेख और फ्लैट से
संलग्न जमीन के संयुक्त पट्टा अधिनियम में निर्धारित किए गए हैं और मैं उन पर हस्ताक्षर करूँगा/करूँगी और उन्हें दिल्ली विकास
प्राधिकरण के साथ निष्पादित करूँगा/करूँगी तथा उनका पंजीकरण फ्लैट का कब्जा सौंपने की तिथि से 90 दिन के अंदर या उस बढ़ाई
गई अवधि, जिसकी अनुमति दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा समय—समय पर दी जाएगी, मैं उक्त विनियमों के अंतर्गत
निर्धारित तरीके से अपने जोखिम और खर्चों पर करवा दूँगा/दूँगी और उस बढ़ाई गई अवधि के 90 दिनों की उक्त अवधि के दौरान, जैसा
भी अनुमेय हो, मैं आबंटित फ्लैट से संबद्ध सामान्य सेवाओं के रखरखाव की देखभाल करने के लिए जिम्मेदार होऊँगा/होऊँगी।

मैं यह वचन भी देता/देती हूँ कि मैं उक्त विनियमों के अंतर्गत निर्धारित पंजीकृत एजेंसी का गठन करूँगा/करूँगी और उसका
सदस्य बनूँगा/बनूँगी तथा उसके लिए बनाए गए नियमों का पालन करूँगा/करूँगी, जिसे मैंने पढ़ लिया है और उसे समझ लिया है।

मैं दिल्ली विकास प्राधिकरण से पूर्व और लिखित अनुमति लिए बिना आबंटित आवासीय इकाई में कोई परिवर्धन/परिवर्तन न करने
का भी वचन देता हूँ/देती हूँ। यदि मैं इसमें दिए गए वचन को पूरा करने में मैं असमर्थ रहा/रही, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण
आवासीय इकाई का आबंटन रद्द करने और कब्जा वापिस लेने के लिए स्वतंत्र होगा।

मैं यह भी समझता हूँ कि यदि मैं/हम डीडीए सस्ता घर आवास योजना 2024(पहले आओ पहले पाओ (एफसीएफएस) आधार पर) की
योजना के ऑफर में दो साथ सटे हुए फ्लैट क्रय करता हूँ/करते हैं या एक ऐसा फ्लैट क्रय करता हूँ/करते हैं, या मैं/हम एक फ्लैट
क्रय करता हूँ/करते हैं जो मेरे परिवार के करीबी सदस्यों द्वारा क्रय किए हुए या स्वामित्व वाले फ्लैट के साथ सटा हुआ है, तो मुझे/
हमें अनुमोदन की शर्त पर इन दोनों फ्लैटों को समामेलित करने के लिए साझा दीवार के बीच से एक साझा दरवाजा खोलने की स्वतंत्रता
होगी। जहाँ भी यह संरचनात्मक रूप से संभव हो और डीडीए से आवश्यक संरचनात्मक अनुमोदन लेने की शर्त के अधीन भी हो।

वर्ष के मास के दिन को मेरे द्वारा निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।

1.

2.

आबंटिती